To Provide the ownership Right

- *1308. SH. SURENDER PANWAR, M.L.A.: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:
 - a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the ownership right (mutation) to the people residing for more than 40 years in Devnagar, West Ram Nagar, Garhi Brahman, Vikas Nagar, Malviya Nagar, Kalupur and Arya Nagar in Sonipat Assembly Constituency; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to materialized; and
 - b) the reasons for not making the mutation inspite of the registration of houses for last 40 years in the abovesaid colonies in Sonipat Assembly Constituency togetherwith the details thereof?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER

- a) Sir, there is no restriction on the entry and sanctioning of mutations to the people residing for more than 40 years in Devnagar, West Ram Nagar, Garhi Brahman, Vikas Nagar, Malviya Nagar, Kalupur and Arya in Sonipat Assembly Constituency.
- b) The issue does not arise.

मालिकाना अधिकार प्रदान करना

- *1308. श्री सुरेन्द्र पवार, एम. एल. ए.: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-
 - (क) क्या सोनीपत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में देवनगर, वैस्ट राम नगर, गढ़ी ब्राह्मण, विकास नगर, मालवीय नगर, कालूपूर तथा आर्य नगर में 40 वर्षों से अधिक समय से रह रहे लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; तथा
 - (ख) सोनीपत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की उपरोक्त कालोनियों में पिछले 40 वर्षों से मकानों के पंजीकरण के बावजूद इंतकाल न किए जाने के कारण क्या हैं तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री

श्रीमान जी,

- (क) सोनीपत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में देवनगर, वैस्ट राम नगर, गढ़ी ब्राह्मण, विकास नगर, मालवीय नगर, कालूपूर तथा आर्य नगर में 40 वर्षों से अधिक समय से रह रहे लोगों के इंतकाल की प्रविष्टि तथा स्वीकृति पर कोई रोक नहीं है।
- (ख) इसका मुद्दा नहीं उठता है।